जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–140/2020 प्रार्थना पत्र

श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री केशाराम बलाई आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––प्रार्थी।

बनाम

1–दीपसिह पुत्र श्री अनोपसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
2–रेवतसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
3–रेमसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
4–रामसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
5–हीरसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
6–शिवसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
7–भोपालसिह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
8–इन्द्रसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
9–भीमसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0शिवपुर तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा)।
10–हल्लाकंवर पुत्री श्री भंवरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा।
11–पूरण सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा।
12–नरपतसिह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा।
13–होनसिंह पुत्र स्व0 श्री नाहरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा।
14–मदनसिंह पुत्र स्व0 श्री नाहरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा।
15–बरदसिंह पुत्र स्व0 श्री नाहरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा।
16–जीवन सिंह पुत्र स्व0श्री नाहरसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा।
17–हरिया कंवर पुत्री स्व0 श्री नाहरसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0 शिवपुर तहसील करेड़ा।
18–छैणा कंवर पुत्री स्व0 श्री नाहरसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0 शिवपुर तहसील करेड़ा।
19–ग्राम सेवा सहकारी समिति,शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक।
20–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा (राज0) ––विपक्षीगण।

उपस्थितः–

1–श्री मुकेश जैन ––अधिवक्ता प्रार्थी।
2–श्री कमलेश मेहता अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं.1 से 18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक 15.02.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ... पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ तहसील करेड़ा में ... आराजियात के साथ आराजी 1523 रकबा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

01 बीघा 08 बिस्वा,आ0नं0 1524 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता शिवपुर से कालादेह बलिया की कुड़ी रास्ता नंबर 1293 से होकर विपक्षी सं. 1 लगायत 18 की आ0नं0 1560 व 1559 की उत्तरी मेड़ से होकर सरकारी रास्ते से होकर अपनी आ0नं 1523 व 1524 में आता जाता है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाड़ी,संज,ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से लाता ले जाता है, जो गाड़ी गडार रास्ता वना हुआ है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का एक मात्र रास्ताव अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है लेकिन विपक्षीगण की नियत मे फितुर होने व आराजी को हड़पने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद शिवपुर तहसील करेड़ा में आ0नं0 1523 व 1524 में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि शिवपुर से कालादेह बलिया की कुड़ी रास्ता नंबर 1293 से होकर विपक्षी सं. 1 लगायत 18 की आ0नं0 1560 व 1559 की उक्ततरी मेड़ से होकर सरकारी रास्ते से होकर प्रार्थना पत्र की चरण सं.1 में वर्णित आ0नं0 1523 व 1524 में आता जाता है, को 15 फीट चौड़ाई में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिये सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये प्रार्थी सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता कमलेश मेहता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल फायल किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रकरण में प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट पर असहमति जाहिर करने से प्रकरण में पुनः तहसीलदार करेड़ा से विपक्षीगण की उपस्थिति में मौका जांच कर रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल फायल की गई। प्रकरण में विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई गई।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम शिवपुर में आ0नं0 1523 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आ0नं0 1524 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता शिवपुर से कालादेह बलिया की कुड़ी रास्ता नंबर 1293 से होकर विपक्षी सं. 1 लगायत 18 की आ0नं0 1560 व 1559 की उत्तरी मेड़ से होकर सरकारी रास्ते से होकर अपनी आ0नं 1523 व 1524 में आता जाता है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाड़ी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजों के समय से लाता ले जाता है, जो गाड़ी गडार रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का एक मात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने बाड़ लगाकर बंद कर दिया है। अन्य वैकल्पिक रास्ते बहुत दूरी के है। जहां सरहद परिवर्तित होती है वहां दूसरी सरहद से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता शिवपुर से कालादेह बलिया की कुड़ी रास्ता नं[illegible] से होकर विपक्षी सं. 1 लगायत 18 की आ0नं0 1560 व 1559 की [illegible] से होने से 15 फीट चौड़ाई का नया रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज [illegible] नक्शा ट्रेश में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कले... करेड़ा

विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ता लघुत्तम चाहता है। एक कच्चा रास्ता है जहां से प्रार्थी आ रहा है जा रहा है। पूर्व में एक दावा इस न्यायालय से खारिज हो गया था। राज्य मार्ग से लगता हुआ रास्ता चाहा है। प्रार्थी को विपक्षी सं. 1 लगायत 18 की खातेदारी आ0नं0 1560 व 1559 की उत्तरी मेड़ से होकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन,पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार करेड़ा की नवीन मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तहसीलदार करेड़ा की नवीन मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी नंबर 1523 व 1524 पर आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है परन्तु कोई भी रास्ता रिकॉर्डेड नहीं है। बहस प्रार्थी व मौका रिपोर्ट से वैकल्पिक मार्ग सं.1 जो अप्रार्थीगण की आराजियात 1560 व 1599 से जाता है जिसे बाड़ लगाकर बन्द कर रखा है। वैकल्पिक रास्ता नं. 2 जो शिवपुर से मजरा बड़ला कुई जाने वाला होकर है जो दूसरे राजस्व गांव से होकर जाने वाला है तथा रिकॉर्डेड भी नहीं है। वैकल्पिक मार्ग नं. 3 जो सआ0नं0 1497, 1498, 1499, 1500, 1493 की सीमाओं पर होकर पगडण्डीनुमा है एवं रिकार्ड में नहीं हैं। अतः प्रार्थी के पास वस्तुत कोई रिकॉर्डेड रास्ते का विकल्प पहुंच मार्ग के रूप में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य ठहरता है। अतएव

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम शिवपुर की आ0नं0 1523 एवं 1524 में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता शिवपुर से कालादेह बलिया की कुड़ी रास्ता नंबर 1293 से होकर विपक्षी सं. 1 लगायत 18 की आ0नं0 1560 व 1559 की उत्तरी मेड़ से होकर सरकारी रास्ते से होने से विपक्षी सं. 1 लगायत 18 की आ0नं0 1560 व 1599 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने एवं उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करेड़ा प्रार्थी से रास्ते हेतु आरक्षित भूमि का प्रतिकर वर्तमान कृषि भूमि की डीएलसी दर की दो गुना से राशि वसूल कर प्रतिकर का भुगतान विपक्षीगण को किया जावे। विपक्षीगण प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करने पर प्रतिकर राशि राजकोष में जमा की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:38 IST
Reason: SelfAttested